30 (53)

न्यायालयः माननीय राजस्व गण्डल म0प्र0,ग्वालियर

प्र. क्र. / निगरानी / ग्वालियर / भू0राज0 / 2018

निगरानी-0380/2019/ग्वालियर/भू.रा.

जगदीश श्रीवास्तव
द्वारा आज 5.3.19
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 3-4-19 नियत।
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मेनेस्टे इन्फ्रास्ट्क्चर इण्डिया प्रा0लिमि0द्वारा डायरेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरीसिंह निवासी काजल टॉकीज के पीछे फालका बाजार लश्कर ग्वालियर म0प्र0 ...प्रार्थी

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर म0प्र0 ...प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक07/ 2018–19 निगरानी में पारित आदेश दिनांकी 17.12.2018 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम भदरौली में स्थित सर्वे कमांक 474 / 1 रकवा 1.003हे0 यानि 107963 भूमि थी जो कि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी । उक्त भूमि का डायवर्सन कराए जाने बावत् प्रार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी मुरार के न्यायालय में म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 172 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया अनुविभागीय अधिकारी मुरार द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जॉच हेतु अधीक्षक भू–अभिलेख को भेजा गया अधीक्षक भू–अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की जॉच की गयी जॉच के समय मौके पर उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में होने तथा प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त भूमि आवासीय उपयोग की होने के आधार पर भू–अधीक्षक अभिलेख शाखा द्वारा अपना प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी मुरार के न्यायालय में भेजा गया । माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 172 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पाते हुये प्रकरण कमांक 85/ 2012–13 / 172 (1) अ–2 ने पारित आदेश दिनांक 00.00.2013 को प्रार्थी की भूमि का डायवर्सन स्वीकार करते

जी श्रीवास्तव 5/3/19

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 380/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-2019	आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री मुकेश शर्मा, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त द्वारा निगरानी प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 2(ग) के अंतर्गत निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	